न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 39/2024

GCMS No. : 2024/228

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार नारायणसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. श्याम सुन्दर खेतावत पुत्र रामगोपाल खेतावत जाति माहेश्वरी मैसर्स वेकटेश एजेन्सी रामद्वारा केरिया दरवाजा पाली (गोदाम मालिक) 2. M/S AL MIZAN INDUSTRIES JALOR ROAD मोकलसर जिला बाडमेर

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भुवनेश काबरा उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 28/01/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थी की सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 17.02.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थी के गोदाम मैसर्स वेकटेश एजेन्सी रामद्वारा केरिया दरवाजा पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम श्यामसुन्दर खेतावत पुत्र राम गोपाल खेतावत बताया एवं स्वंय को गोदाम का मालिक होना बताया। गोदाम के निरीक्षण के दौरान आधे–आधे लीटर सरसो के तेल के पैक कार्टुन रखे हुये थे। जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने सरसों तेल का नमुना लेने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये सवाईसिंह वाहन चालक कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की सरसों तेल का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में सरसों तेल के 1/2 लीटर के चार बोतल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 320/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा सरसों तेल की बोतल को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2207 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 ने सरसों तेल के खरीद से संबंधित दस्तावेज पेश किये जो अप्रार्थी संख्या 02 से संबधित थे। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया सरसों तेल का नमुना संख्या आर–2207 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/237/एक्ट/2024/283 दिनांक 04.03.2024 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थीगण को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। उक्त अवधि पूर्ण होने से प्रकरण श्रीमान के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) सरसों तेल का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब एवं वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की फर्म से सरसों तेल का नमुना लेते समय खाद्य सुरक्षा

अति. जिला कलक्टर, पाली

मानक के अनुसार सेम्पल नहीं लिया है। जो विधि के अनुसार औचित्यहिन है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सेम्पल सरसों तेल की पुनः जाचं हेतु अवसर नहीं देकर बहुमूल्य अधिकार से वंचित किया है। अप्रार्थी ने सरसों तेल की जो कि पैक बोतल में था, उसका सेम्पल लिया था जिसका उत्पादन अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया जाता है जिस अवस्था में थोक विक्रेता से खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है। रेगुलेशनस 2011 के बिन्दु 2.3.1(1) में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि Butyro- refractometer Reading At 40 सेल्सियस के रूप में 59.79 प्रतिशत होना चाहिये। किन्तु परिणाम में 58.0 से 60.5 पाया गया जो कि एफएसएसएआई Manuals of methods of analysis of Food 2016 ऑयल एवं फेट 40 सेल्सियस तक होना चाहिए किन्तु सरसों तेल का सेम्पल लेते समय क्या तापमान था किस तापमान में सेम्पल भिजवाया गया था उसके आधार पर मानक निर्धारित किया जाता है Saponification Value 181.76 तक हो सकती है जो भी मानक के अनुसार 168.0 से 177.0 होना चाहिए। जहां मिश्रित खाद्य पदार्थ का 0.10 प्रतिशत से कम हो वहां खाद्य योजकों के अलावा नमी के घटको की सुची घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में सेम्पल सरसों का तेल कम भेजा गया एवं किस दिनांक को सेम्पल की जाचं की गई उक्त जानकारी प्रार्थना पत्र में अंकित नही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर स्वतंत्र गवाह के स्थान पर अपने साथ आये कार्मिक को ही गवाह बना लिया जो कि मौके पर लिये गये सेम्पल की विश्वसनियता पर प्रश्न चिह्न है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जिससे अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने एवं पुनः जांच करवाने के अधिकार से वंचित किया अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 के गोदाम मैसर्स वेकटेश एजेन्सी रामद्वारा केरिया दरवाजा पाली से सरसों तेल वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2207 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये सरसों तेल का नमुना कोड संख्या आर–2207 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के गोदाम से लिया गया सरसों तेल का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया, जिसकी प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी जिसे एक माह से ज्यादा समय व्यतित हो जाने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के गोदाम से लिये गये सरसो तेल की पुनः जाचं करवाने हेतु कोई आवेदन/अपील पेश नहीं कि जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के गोदाम से सरसों के तेल का सेम्पल लेते समय नियमानुसार खाद्य सुरक्षा नियमों के मानको को अपनाते हुए सेम्पल लिया एवं खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया जिसमें किसी प्रकार के नियमों की अवहेलना नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने अवमानक स्तर के सरसो तेल का विक्रय/वितरण/उत्पादन किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) सरसों का तेल का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 50,000/–रूपये अक्षरे पच्चास हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 02 पर 100000/– रूपये अक्षरे एक लाख रूपये कुल 1,50,000 अक्षरे एक लाख पच्चास हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली